


असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—बण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

₹Ε 82]	नई विल्ली, सोमवार, मार्च 26, 1979/चैत 5, 1901
Nu 82]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 1979/CHAITRA 5, 1901

\_\_\_\_

इस भाग में मिन्न 905 संख्या ही जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

मॉबहन और परिवहन मंचालय

(परिवहन पक्ष)

**भ**धिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26मार्च, 1979

सा० का० ति० 261(अ).---केन्द्रीय सरकार महापत्मन न्याम अधि-नियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार, नौबहन और परिवहन मंत्रालय की प्रधिसूचना सं० सा० का० नि० 397 नारीख 8 मार्च, 1977 को अधिकाल करते हुये विणाखापत्तनम पत्तन के त्यासी बोर्ड में निम्नालिखित सारणी के स्तम्भ (1) में बणिन हितां का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने बाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णिन, व्यक्तियों की संख्या को विनिधिष्ठ करनी है:---

#### सारसौ

वे हिन, जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किंग् आने याले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पान में नियोजिन श्रमिक	···
वाणि <b>ज्यिक ल</b> म्द्री विभाग	1
सीमा-स,स्फ विभाग	1
मौध्र प्रवेश सरकार	1

1345 GI/78-1

1	2 -
रक्षा सेवाए	1
भारतीय रेल	1
<b>विशाखा</b> पत्तमम नगर-गरिषद्	1
क्षेत्र के प्रतिनिधि	3
क ल	

\_\_\_\_\_ [फा॰ सं॰ पी टी बी 38/78]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

# (Transport Wing)

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th March, 1979

G.S.R. 261(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 397, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam: –

IABLE				
Interests to be represented	]	Number of persons to be appointed		
1		2		
Labour employed in the Port		2		
The Mercantile Marine Department	•	1		

1			2
The Customs Department .			1
The Government of Andhra Pra	desh		1
The Defence Services			1
The Indian Railways			1
Visakhapatnam Municipal Cour	ncil		1
People of the area	•	•	3
TOTAL			11

[F. No. PTB-38/78]

सा० का० वि० 262(अ).—केम्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास प्रधि-नियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 3 की उपघारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (2) के उपबंधों के प्रमुसरण में, झौर भारत सरकार के नौवहन प्रौर परिवहन मंतालय की प्रधिसूचना सं० सा० का० नि० 398 नारीख 8 मार्ज, 1977 को प्रधिक्तन्त करते हुए, विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी बोर्ड में, निम्नलिखित सारणी के कमशः स्तंभ 2 प्रौर 3 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में वणित, प्रस्थेक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रस्थेक निकाय द्वारा मिर्वाचित किये जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संक्या को विनिधिष्ट करती है:

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंक्षणाधीन, उक्त सारणी की कम सं० 5 ध्रीर 6 के सामने वणित, निकायों की वया में, ऐसे निकायों ढारा निर्वाचित किये जाने वाले क्यक्ति, केन्द्रीय सरकार ढारा नियुक्त फिये जाएंगे।

सारखी

कम निकायों के नाम संख्या	हित	सिर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संक्या
1 2	3	4 1
<ol> <li>विजिगापलनम चैम्बर झाफ कामर्स, विणाखापत्तनम</li> </ol>	नाविक	1
<ol> <li>फेडरेशन आफ प्रान्ध प्रवेश चेम्बर प्राप कामर्स इण्डस्ट्री, हैदराबाद</li> </ol>	<b>क नाविक</b>	1
3. इण्डियन नेपानल शिप ग्रानर्स एसोशिएस	न थोतस्वामी	1
<ol> <li>बिसाखापत्तनम नगर परिषद्</li> </ol>	मन्य हित	1
<ol> <li>मनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन झाफ इंडिया लि० ।</li> </ol>	ंनाविक	1
<ol> <li>हिन्दुस्तान भिषयाई लि०</li> </ol>	मन्य हित	1
হুল		6

2. पूर्वोक्त मधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 30 मप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली मयधि को ऐसी मयधि के रूप में विनिर्विष्ट करती है, जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जायेगा।

[फा॰ सं॰ पीटी बी 38/78]

**GSR 262 (E).**—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 398, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests, shown respectively in the corresponding entries in columns 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam: Provided that in the case of bodies mentioned against seria numbers 5 & 6 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such bodies shall be appointed by the Central Government.

	TAB	ĹE	
Serial Number	Name of bodies	Interests	Number of persons to be elected
1	2	3	4
of Con nam 2. Federa desh	apatnam Chamber nmerce, Visakhapat ation of Andhra Pra Chambers of Com- and Industry, Hyde	- Shippers -	I
rabad	• • •	. Shippers	ſ
owner	s' Association . apatnam Municipa	Shipowners	1
Counc 5. Miner	als and Metals Trad	Other interests	1
	d . Istan Shipyard Limit		1
ed .	-	Other interests	1
To	TAL , ,		6

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 30th April, 1979, as the period within which the election of Trustees shall be held.

### [F. No. PTB-38/78]

सा० का० मि० 263(ग्र). केन्द्रीय सरकार महापत्तन ग्यास ग्रधि-नियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 3 की उपघारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (1) के प्रनुसरण में ग्रीर भारत सरकार में नौषहन ग्रीर परिवहन मंत्रालय की प्रधिसूचना सं० सा० का० गि० 392 तारीख 8 मार्च, 1977 को ग्रधिकान्त करते हुए काण्डला पत्तन के ग्यासी बौर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वणित हितों का प्रतिनिधिस्व करने के लिए उस सरकार छारा नियुक्त किये जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वणित व्यक्तियों की संख्या को बिनिर्दिष्ट करती है:

सारगी	
MI 17/11	

वे हित, जिनका प्रतिनिधिरव किया जाना है	नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की सं०
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
वाणिज्यिक समुद्री विभाग	1
सीमा-शुरूक विभाग	1
गुजरात सरकार	1
रका सेवाएँ	1
भारतीय रेल	1
काण्डला मुक्त व्यवसाय भेचल	1
क्षेत्र के प्रसिनिधि	2
कुल	10

[फा॰ सं॰ पी टी बी-41/78]

TABLE	
-------	--

Interests to represented	_			Number of persons to be appointed
1				2
Labour employed in the Po	ort			2
The Mercantile Marine De	part:	ment		1
The Customs Department				1
The Government of Gujara	ıt	,		1
The Defence Services .				1
The Indian Railways .				1
Kandla Free Trade Zone		,		1
People of the area		,		2
Total			,	10

[F. No. PTB-41/78]

सा० का० मि० 264(अ). .... केम्द्रीय सरकार, महापत्तन व्यास स्रधि-नियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 3 की उपछारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (II) के उपखण्डों के मनुसरण में, मौर भारत सरकार के नौवहन मौर परिवहन मंत्रालय की मधिसूचना सं० सा० का० नि० 393, तारीख 8 मार्च, 1977 को मधिकांत करते हुए, काण्डला पत्तन के न्यासी बोर्ड में, निम्नलिखित सारणी के कमणा: स्तम्भ 2 मौर 3 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में दशित, प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाधिस किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वणित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्विष्ट करती है:

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, उक्त सारणी की ऋम संख्या 5 ग्रीर 6 के सामने वर्णित, निकायों की दशा में, ऐसे निकायों ढारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार ढारा नियुक्त किए जाएंगे।

सारसी

	सा	(QII	
कम सं∘	निकायों के नाम	हित	निर्वाचित किए जाने वालेक्यफियों की संब्
1	2	3	4
-	त्ररात चेम्बर भाफ कामर्स एण्ड इण्ड हमवाबाद	ास्ट्री, नाविक	1
	वर्ग इण्डिया चेम्बर ग्राफ कामसे एण ण्डस्ट्री, चण्डीगढ़	म्ड नाविक	1
3. <b>T</b>	ण्डयन नेगनल गिपमानसं एसोसिए	शन पोतस्वामी	1
4. ग	न्धीधाम नगरपालिका	म्रन्य हित	1
5. M	ारतीय <b>क्षाच</b> निगम	पोत वणिक	1
6. <del>୩</del>	rरतीय तेल निगम लिमिटिङ	पोत वणिक	1
	धी धाम चेम्बर झाफ कामर्स एण्ड । धीधाम	(ण्डस्ट्री, पोत वणिक	1
	कुल		7

2. पूर्वोक्त प्रधितियम की घारा 3 की उपधारा (4) के प्रमुक्षरण में केन्द्रीय सरकार, 30 प्रप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली प्रवधि को ऐसे प्रवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन फिया जाएगा।

#### [फा० सं० पीटीबी-41/79]

G.S.R. 264 (E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notitication of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 393, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifics the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies, to represent each of the interest, shown respectively in columns 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Kandla :

Provided that in the case of bodies mentioned against serial numbers 5 and 6 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such bodies shall be appointed by the Central Government.

#### TABLE

Serial Name of bodies Number	Interests	Number of persons to be elected
1 2	3	4
1. Gujurat Chamber of Com- merce and Industry, Ah- medabad.	Shippers	1
2. Northern India Chamber		
of Commerce and Industry, Chandigarh	Shippers	1
3. Indian National Shipowners		
Association .	Shipowners	1
4. Gandhidham Municipality	Other interests	I
5. Food Corporation of India	Shippers	1
6. Indian Oil Corporation Limited	Shippers	1
7. Gandhidham Chamber of		
Commerce and Industry, Gandhidham .	Shippers	1
Total		7

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 30th April, 1979, as the period within which the election of Trustees shall be held.

[F.No. PTB-41/78]

सा० का० मि० 265 (अ). ----केन्द्रीय सरकार, महापरतम ग्यास ग्राझ-तियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में भौर भारत सरकार नौतहन भौर परिवहन मंझालय की प्रधिसूचना सं० सा० का० नि० 401 तारीख 8 मार्थ, 1977 को मधिकाग्त करते हुए कोचीन परतन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वणित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उस सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वणित, व्यक्तियों की संख्या को विनिधिष्ठ करती है :---

KTRAORDINARY IPA

स	ारखी
ेथे हिन, जिनका प्रतिनिधित्थ किया जाना है	नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियो की संख्या
1	2
परतन में नियोजित श्रमिक	2
वाणिज्यक समुद्री विभाग	1
<b>सीमा गुल्क विभा</b> ग	1
केरल सरकार	1
रक्षा सेवाएं	1
भारतीय रेल	1
कोचीन निगम	1
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी	t 1
कोल के प्रतिमिधि	2
	हुल 11
<u> </u>	
	[सं॰ पी टी मी-42/78]

G.S.R. 265 (E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shlpping and Transport No. G. S. R. 401 dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Cochin :—

-т.	Αb	ET 1	E
- 1 /	4 D		

			pe	imber of rson to be ppointed
			·	2
	·	· .		
nt		,		
men	t Auti	horlty	,	
		•	•	1
	ent men	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · ·	ar

[F. No, PTB 42/78]

सा० का० णि० 266 (अ). — केश्वीय सरकार, महापत्तन न्यास ग्रधि-गियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) के उपर्वधों के मनुसरण में, मौर भारत सरकार के नीवहन और परिवहन मंत्रालय की म्रधिसूचना सं० सा० का० नि० 402 तारीख 8 मार्च, 1977 को मधिकान्त करते हुए कोचीन पत्तम के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के ऋमशाः स्तम्भ 2 मौर 3 में तरसंबंधी प्रविष्टियों में दर्शित प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्य करने के लिए, प्रत्यक सिकाय द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वॉणत व्यक्तियों की संख्या को विनिधिष्ट करती है :

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उक्त सारणी की कम संख्या 6 के सामने वर्णित निकायों की वशा में, ऐसे निकायों बारा निर्वाखित किए जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए आपएंगे।

	सार	ग्गी –	
कम सं०	 निकायों के नाम	हित	
1	2	3	
		नाविक	1
	कुलम ोन चेम्बर श्राफ कामर्स एः∞इ	नाविक	1
_	स्ट्री, कोचीन यन नेपानल शिपभ्रानर्स	पोत स्वामी	1
ए सो	सिएगन	पोत स्वामी	1
5. কাৰ্ম	ोन निगम	मन्य हित	1
<u>6</u> . कोर्च	ोन शिपयार्ड लिमिटेड	भ्रम्य हित	1
			कुल 6

2. पूर्वीक्त ग्राधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के प्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 30 प्रप्रैल, 1979 को सामाप्त होने वाली भवधि को ऐसी प्रवधि के रूप में विनिविध्ट करती है, जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जाएगा।

## [सं॰ पी टी बी- 42/78]

G.S.R. 266 (E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S. R. 402, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies, to represent each of the interests, shown respectively, in the corresponding entries in columns 2 and 3 of the Table, on the Board of Trustees of the Port of Cochin :

Provided that in the case of the body mentioned against serial number 6 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the person to be elected by such body shall said be appointed by the Central Government.

TABLE	3.	
SI. Name of bodies No.	Interest	No. of Persons to be elected
-1 $-2$ $-2$	3	4
1. Indian Chamber of Com- merce, Cochin.	Shippers	1
<ol> <li>Ernakulam Chamber of Commerce, Ernakulam</li> </ol>	Shippers	1
<ol> <li>Cochin Chamber of Com- merce &amp; Industry, Chochin</li> </ol>	Shipowners 5	1
<ol> <li>Indian National Shipown- ers' Association</li> </ol>	Shipowners	1
5. Corporation of Cochin	Other interests	1
6. Cochin Shipyard Limited	Other interests	1
TOTAL .	· · ·	, <u>6</u>

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 30th April, 1979, as the period within which the election of Trustees shall be held.

[F. No. PTB-42/78]

सा० का० नि० 267 (अ).--केन्द्रीय सरकार, महापरतम न्यास मधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंग्रालप की प्रधिसूचना सं० सा० का० नि० 125(भ) तारींख 24 मार्च, 1977 को मधिलोग्त करते हुए कलकत्ता परतन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित, व्यक्तियों की संख्या को विनिर्विष्ट करती है:---

सारगी

वेहित, जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है नियुक्स किए जाने वाले व्यक्तियों की

		सं०
		2
परतम में नियोजित भमिक		2
वाणिण्यिक समुद्री विभाग		1
सीम-गुल्क विभाग		1
पक्ष्मिमी बैगाल सरकार		1
रका सेवाएं		1
भारतीय रेल		2
कलकक्ता निगम		1
क्षेत्र के प्रतिनिधि		1
	<u>ज</u> ुल	10

[फा० सं० पी टी बी-44/78]

G.S.R. 267(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of Indian in the Ministry of Shipping and Transport No. G. S. R. 125(E) dated the 24th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the intersts mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Calcutta :—

ТАВ	LE
-----	----

Interests to be represented						No. of Persons to be appointed
1		-	_			
Labour employed in the Pe	ort.	•				2
The Mercantile Marine dep	partme	nt				
The Customs department						1
The Government of West J	Bengal			÷	•	1
The Defence Services				ż		1
The Indian Railways					÷	2
Corporation of Calcutta						1
People of the area .				•		1
T <sub>OTAL</sub> .		•		·		10
						TP 44/701

सा० का० लि० 268 (अ). — केन्द्रीय सरकार, महापरतम ग्यास मधि-नियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपघारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (2) के उपवंधों के प्रमुसरण में, भौर भारत सरकार के मौबहन मौर परिवहन मंत्रालय की मधिसूचना सं० सा० का० नि० 394, तारीख 8 मार्च, 1977 को मधित्रान्त करते हुए, कलकत्ता, पत्तम के ग्यासी बोर्ड में, निम्नलिखित सारणी के कमशाः स्तम्भ 2 मौर 3 में तल्संबंधी प्रविष्टियों में दर्शित, प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिधिष्ट करसी है:

परन्तु सरकार के स्वामित्साधीन या नियंत्रणाधीन, उक्त सारणी की कम सं० 7 ग्रीर 8 के सामने वर्णित, निकायों की दशा में ऐसे निकायों द्वारा निर्वाभित किए जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

सारणी

		CCU .	
कः संव	सिकायों के नाम	हिन	निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
कलक	न चेम्बर झाफ कॉमर्स, ता नेशनल चेम्बर झाफ	नाविक	1
कामर्स	एण्ड इण्डस्ट्री, कलकता .	नाविक	1
इण्डस्ट्र	चेम्बर झॉफ कामर्स एण्ड ो, कलकत्ता		1
	िण्डया शिपर्स कौंसिल . 		1
6. क <b>लक</b> र	गानिगम गा क्लीयॉरंग एजेप्टस एगन,कलकत्ता		1
	य तेल निगम लि०		1
<ol> <li>शार्षिंग</li> <li>फैडरेश</li> </ol>	कारपोरेशन झाफ इंडिया न झाफ इनलैंड वाटर		1
	े एसोसिएशन भाफ कलकत्ता	भन्त हित	1
		2	ল 9
			<del>7</del>

2. पूर्वोक्त मधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के मनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 30 म्रप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली मवधि को ऐसी भ्रवधि के रूप में विनिदिष्ट करती है, जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जाएगा।

> [सं॰ पीटी बी-44/78] दिनेश कुमार जैन, संयुक्स सचिव

G.S.R. 268(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 394, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies, to represent each of the interests, shown respectively in the corresponding entries in columns 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Calcutta:

[PART II-SEC. 3(i)]

Provided that in the case of bodies mentioned against serial numbers 7 and 8 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such bodies shall be appointed by the Central Government.

## TABLE

Sl. Name of bodies No.	Interest	No. of persons to be elected
1 2	3	4
1. Indian Chamber of Com- merce, Calcutata.	Shippers	1
2. Bengal National Chember of Commerce and Industry, Calcutta.	Shippers	1
3. The Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta	Shipowners	
4. All India Shippers', Council	Shippers	1
5. Corporation of Calcutta	Other interests	1

3	4
Other Interests	1
Other interests	1
Shipowners	1
Other interests	1
	9
	Other Interests Other interests Shipowners

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Contral Government hereby specifies the period ending with the 30th April, 1979 as the period within which the election of Trustees shall be held.

> [F. No. PTB-44/78.] D. K. JAIN, Jt. Secy

. . . .